कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/2596 दिनांकः– 05-04-2021

:: आदेश ::

प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 04.04.2021 द्वारा कोविड–19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु दिनांक 05.04.2021 से 19.04.2021 तक विशेष गाईडलाईन एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान आदि के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए है।

जिले में कोविड–19 की दूसरी लहर का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है। इसका मुख्य कारण सरकार के दिशा–निर्देशो तथा मेडिकल प्रोटोकॉल की पालना नही करना आदि है। राजस्थान सरकार द्वारा इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए गए है।

अतः मैं राजेन्द्र किशन (I.A.S.) जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 33(2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 04.04.2021 की पालना में जिले में कोविड–19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु समसंख्यक आदेश क्रमांक 184 दिनांक 19.03.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला सवाई माधोपुर की समस्त राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि–

1. जिले में स्थित शहरी क्षेत्रों (कस्बों) के दुकाने/मॉल्स/प्रतिष्ठान/व्यापार एवं सभी प्रकार के बाजार रात्रि 9 बजे तक बंद कर दिये जायेंगें। इसके पश्चात अति आवश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त प्रकार की गतिविधियॉ बन्द रहेगी।
2. शहरी क्षेत्रो में कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधियां राज्य सरकार के आदेशो के तहत दिनांक 19.04.2021 तक बंद रहेंगी।
3. विवाह आयोजन/वृत्त एकत्रिकरण के किसी भी कार्यक्रम की पूर्व सूचना सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देनी होगी तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नही होगी। साथ ही बंद स्थानों पर हॉल क्षमता का 50 प्रतिशत तक, अधिकतम 100 व्यक्ति एवं खुले स्थानों पर स्थल/जगह को ध्यान मे रखते हुए 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावें।
4. सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल्स/जिम एवं समान स्थान बंद रहेंगें।
5. किसी व्यक्ति/संस्थान/प्रतिष्ठान द्वारा उक्त दिशा–निर्देशो की पालना नही करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार सीलिंग करने/शास्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. जिले के सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि राज्य सरकार के दिशा–निर्देशो/मेडिकल प्रोटोकॉल यथा फेस मास्क/फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि के संबंध में पूर्ण सतर्कता के साथ नियमित रूप से पालना करें। कोविड–19 संक्रमण की स्थिति के आंकलन के आधार पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद स्थानीय प्रतिबन्ध/कर्फ्यू घोषित कर दिया जावेगा।
7. भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 संक्रमण को रोकने हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की कडाई से पालना करना अनिवार्य होगा।

8. उक्त आदेश की पालना नही करना दण्डनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं अन्य विधि की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
9. उक्त आदेश की पालना करवाए जाने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आयुक्त नगर परिषद का होगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण को सवाई माधोपुर जिले के मुख्य मुख्य स्थानों पर इस आदेश की चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिको को सूचित किया जावें ।

यह आदेश दिनांक 05.04.2021 से दिनांक 19.04.2021 तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/2597 – 2607 दिनांकः– 05-04-2021

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट–––––––––––––––––––राजस्थान।

प्रतिलिपि–निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

5. पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर
6. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी
7. प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग/विकास अनुभाग कार्यालय हाजा
8. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट ––––––––––––––––जिला सवाई माधोपुर
9. समस्त तहसीलदार ....जिला सवाई माधोपुर
10. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण.......................................सवाई माधोपुर।
11. सहायक निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग सवाई माधोपुर

(डॉ0 सूरज सिंह नेगी)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर